न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :—सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 05/2025

1. गुड्डी देवी पत्नी अणदाराग जाति जाट निवासी भूरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रार्थीया

बनाम

1. रोहिताश कुमार पुत्र गंगाजल जाति जाट निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
2. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए
उपस्थितिः—श्री विकास शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी
श्री सुभाष गर्ग अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 22/5/26

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया की कृषि भूमि तहसील टिब्बी के चक 13 आर. डब्ल्यू.डी. जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के वर्तमान खाता स० 19/17 के प० न० 230/381 मु० न० 42 के किला न0 1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 9 ता 10/0.506 कुल 1.012 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। ई—साईन डिजीटल जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति पेश है। अप्रार्थी स० 1 के नाम चक 13 आर. डब्ल्यू. डी. जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के वर्तमान संयुक्त खाता सं0 132 के प० न० 230/381 मु० न० 42 के किला न0 8/3/0.127 कुल 0.127 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। ई—साईन डिजीटल जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति पेश है। चक 13 आर. डब्ल्यू.डी के प० न० 230/381 के मु० न० 42 के किला न0 6/0.013, 7/0.013, 8/1/0.007 हैक्टेयर गै० मु० रास्ता दक्षिण सींव पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थीया चक 13 आर. डब्ल्यू.डी के प० न० 230/381 के मु० न० 42 के किला न0 6, 7, 8/1, 8/3 में से होकर अपनी कृषि भूमि में से आवागमन करता चला आ रहा है। उक्त रास्ता वर्तमान में चालू है। प्रार्थीया को अपनी कृषि भूमि में आवागमन करने के लिए उक्त प्रश्नगत रास्ता के अलावा अन्य कोई मन्जूर शुद्वा रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त रास्ता प्रार्थीया को अपनी भूमि में आवागमन में लिए सबसे नजदीक व सुविधाजनक है। इसलिए प्रार्थीया चक 13 आर. डब्ल्यू. डी के प० न० 230/381 के मु० न० 42 के किला न0 8/3 की दक्षिणी सींव पर पूर्व से पश्चिमी दिशा में 0.006 हैक्टेयर गै० मु० रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाना चाहता है । यह कि दिनांक 16.12.2024 को प्रार्थीया ने चक 13 आर. डब्ल्यू.डी. में अप्रार्थी स01 से उक्त रास्ता को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया, लेकिन अप्रार्थी स० 1 स्पष्ट इन्कार हो गया। अप्रार्थी स० 3 लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया है। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंवम श्रवणाधिकार का है और उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर. टी. ए. प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 13 आर. डब्ल्यू.डी के प०

अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
टिब्बी

न० 230/381 के मु० न० 42 के किला न० 8/3 की दक्षिणी सींव पर पूर्व से पश्चिमी दिशा में 0.006 हैक्टेयर गै० मु० रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण की ओर जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र की दफा 1 पते से सम्बन्धित है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 भूमि से सबन्धित है जो स्वीकार है प्रार्थना पत्र की दफा 3 में मुझ अप्रार्थी सं० 1 के नाम से आराजी दर्ज होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 4 मे दर्ज चालू रास्ता जो कि मुझ अप्रार्थी का नीजी रास्ता है प्रार्थना पत्र की दफा 5 कतई गलत अंकित की गई है, स्वीकार नही। प०न० 230/381 मु0 42 किलानं0 8/3 में कोई रास्ता चालू नही है। प्रार्थना पत्र की दफा 6 कतई गलत, असत्य दर्ज की गई है स्वीकार नही। प्रार्थीया को अन्य रास्ता उपलब्ध है। मुझ अप्रार्थी की कृषि भूमि मे से रास्ता स्वीकृत करवाने की अधिकारीणी नही है। अप्रार्थी लघु काश्तकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 7 कानूनी है। मुझ अप्रार्थी के विरूद्ध कोई वाद कारण हासिल नही है। प्रार्थना पत्र की दफा 8 कानूनी है प्रार्थना पत्र की दफा 9 कानूनी है। प्रार्थीया द्वारा चाहा गया अनुंतोष अस्वीकार है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी से रिपोर्ट प्राप्त की गयी रिपोर्ट शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी, विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में नया रास्ता स्वीकृत करने से संबधित प्रावधान के अनुसार प्रार्थी के लिए नया रास्ता तभी स्वीकृत किया जा सकेगा जब न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि (1) यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के लिए सुविधाजनक उपयोग के लिए नही है। (2) विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध हो गया हो। (3) प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी का हो।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा चक 13 आर. डब्ल्यू.डी के प० न० 230/381 के मु० न० 42 के किला न० 8/3 की दक्षिणी सींव पर पूर्व से पश्चिमी दिशा में 0.006 हैक्टेयर रास्ता स्वीकृत किये जाने का अनुतोष चाहा है। प्रस्तावित रास्ते का मिलान चक न0 13 आर डब्लयु डी के प०न0 230/381 मु0 42 के किला न0 6/3/.013, 7/1/.013, 8/1/.007 है0 गै0मु0 स्वीकृत शुद्धा रास्ते से हो रहा है। नजरी नक्शे के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में प्रवेश के लिए निकटतम रास्ता है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है।

उक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 आरटीए के प्रावधानो के सुसंगत होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक न0 चक 13 आर. डब्ल्यू.डी के प० न० 230/381 के मु० न० 42 के किला न० 8/3 की दक्षिणी सींव पर पूर्व से पश्चिमी दिशा में 0.006 हैक्टेयर गै० मु० रास्ता स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृत किये गये रास्ते की भूमि के बदले में उतनी ही भूमि अप्रार्थी के चिपते प्रार्थी के किला न0 9 के पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण स्वीकृत किये गये रास्ते की कॉर्नर को छोडते हुए अप्रार्थी के नाम से दर्ज किया जावे व प्रार्थी का हिस्सा कम किया जावे। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम

न्यायालय का स्थगन न हो तो वे उक्तानुसार स्वीकृत किये गये रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 22/5/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नगढ़